

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

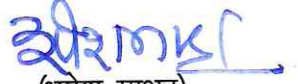
क्रमांक : एफ.4(ई)एस-1391 / 2013 / अलेसे-III / 828

दिनांक :- 29.07.2022

कार्यालय आदेश

श्री सोनू चौधरी, क0 लेखाकार कार्यालय उपकोष (पेंशन), भरतपुर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 15.07.2022 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 15.07.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-1391 / 2013 / अलेसे-III / 828

दिनांक :- 29.07.2022

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त कोषाधिकारी (पेंशन), भरतपुर।
2. श्री सोनू चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त कोषाधिकारी (पेंशन), भरतपुर।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. पदस्थापन सीट / निजि / रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)